न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 51/2018
प्रविष्टि दिनांक 27–6–2018

रामसहाय पुत्र श्री प्रभू जाति धाकड़ निवासी ग्राम चोरू तह0 उनियारा जिला–टोंक

बनाम

–अपीलान्ट

नायब तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार उनियारा दिनांक 19–8–2011

उपस्थिति : (1) श्री देवीप्रकाश तिवाडी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 21–12–2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 19–8–2011 के द्वारा अपीलान्ट को सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम चोरू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलान्ट की उक्त अपील संख्या 148/2011 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 5–10–2011 से निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 5–10–2011 की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहॉ प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा भी अपील सं0 56/2011 को दिनांक 31–1–2013 को निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के आदेश की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/एलआर/5124/2013/टोंक आदेश दिनांक 13–12–2017 से निगरानी आंशिक स्वीकार कर, निर्देश दिये गये कि " **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण जिला कलेक्टर टोंक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 14–9–2011 में उल्लेखित सशपथ कथनों की जॉच उपखण्ड स्तर के अधिकारी से करवा कर एक माह मे रिपोर्ट प्राप्त कर विवादित आराजी से प्रार्थी का कब्जा छोड़ने बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करें, तब तक प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा स्थगित रहेगी। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जिला कलेक्टर यदि मौके पर कब्जा छोड़ना नहीं पाते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगरानी निर्णय यथावत रहेंगें।** "

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस ... गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मे ... तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम चोरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपना कब्जा हटा लिया है। इस बाबत न्यायालय हाजा में दिनांक 10–9–2020 को शपथ–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। आप मौके की पुनः जॉच करवा सकते हैं हमारा मौके पर कब्जा नहीं है। अतः सिविल कारावास माफ किया जावे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन में तर्क दिया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ने बाबत दिनांक 10–9–2020 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु इनके द्वारा विवादित भूमि से पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हटाया है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा की मौका रिपोर्ट कमांक 4954 दिनांक 19–10–2020 अनुसार अपीलान्ट ने मौके से अपना कब्जा हटाया गया है , किन्तु एक दिशा में पत्थर की दीवार बनी हुई है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलान्ट ने न्यायालय में भी कब्जा छोड़ देने का झूठा शपथ पत्र पेश किया है जबकि मोके पर आज भी पत्थरों की दीवार बना रखी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम चोरू की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया था अपीलान्ट ने न्यायालय में विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ देने व कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र कमांक 4954 दिनांक 19–10–2020 रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया है, कि पटवारी हल्का चोरू के साथ जाकर मौका देखा गया मौके पर आराजी खसरा नम्बर 2594/500 वाके चोरू मुताबिक जमाबन्दी जो सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरे में पूर्व में रामसहाय पुत्र प्रभू जाति धाकड़ निवासी चोरू द्वारा मौके पर लोहे की जाली लगा कर तारबन्दी की हुई थी, चारो ओर पत्थरों दीवार खड़ी हुई थी, वर्तमान में इनको हटा लिया गया है किन्तु पत्थरों को एक दूसरे पर जमा कर दीवारनुमा एक दिशा में किया हुआ है मौके से कब्जा पूर्ण रूप से नही हटाया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–8–2011 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट 21 दिवस की अवधि में अपना कब्जा हटा कर एक शपथ पत्र तथा नायब तहसीलदार उनियारा के न्यायालय में प्रस्तुत करें कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है ओर नायब तहसीलदार यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner